



2026:AHC:59765

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 4443/2026

जमुना प्रसाद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मिथिलेश कुमार शुक्ला, सुधीर कुमार शुक्ला

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला एवं श्री सुधीर कुमार शुक्ला तथा राज्य-प्रत्यर्थी के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. मोर्य को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक जमुना प्रसाद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 646/2025, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 21/22 के अंतर्गत, थाना गोवर्धन, जिला मथुरा में पंजीकृत, के विचारण की लंबित अवधि में जमानत पर रिहा करने हेतु प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे अंतरस्थ उद्देश्य से इस वाद में मिथ्या फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 एवं 52-ए के आदेशात्मक उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक एक अन्य वाद में 19½ वर्ष तक कारागार में रहा है। एफ.आई.आर. के अनुसार आवेदक के कब्जे से 175 ग्राम नारकोटिक पाउडर अल्प्रजाजोलम बरामद हुई है जो सर्वथा मिथ्या है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक द्वारा न्यायिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्षियों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 23.06.2024 से कारागार में निरुद्ध है, वचन देता है कि यदि जमानत प्रदान की गई तो वह उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में वादों की भारी लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का एन.डी.पी.एस. अधिनियम सहित आपराधिक इतिहास है।

5. एफ.आई.आर. के अनुसार आवेदक के कब्जे से 175 ग्राम नारकोटिक पाउडर अल्प्रोजोलम बरामद बताई गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 एवं 52-ए के आदेशात्मक उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है और आवेदक एक अन्य वाद में 19½ वर्ष तक कारागार में रहा है और अब वह 15.12.2025 से कारागार में निरुद्ध है।

6. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति एवं अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात तथा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 को भी दृष्टिगत रखते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत का वाद बनता है। अतः वर्तमान जमानत आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक जमुना प्रसाद की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे रु. 50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के प्रत्येक दो प्रतिभुओं पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाए: –

(i) याचिकाकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे ऐसे व्यक्ति को तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) याचिकाकर्ता अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं बनाएगा/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक (i) वाद के प्रारंभ, (ii) आरोप की विरचना एवं (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत कथन अभिलेखन हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक इस आशय का वचनबंध दायर करेगा कि साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के अवधारण के प्रयोजन तक सीमित है और इसे किसी भी रूप में वाद के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

23 मार्च, 2026

ऐमन